

उत्तराखण्ड सरकार  
निर्वाचन विभाग,  
संख्या- 465 / XXV-05 / 2017  
दिनांक : देहरादून : 24 जनवरी, 2017  
कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा-5 एवं धारा-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निम्न विवरणानुसार लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को चिन्हित कर नामित किया जाता है:-

क्र०सं०	विभाग	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी	श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उक्त अधिकारियों को इन कार्यों हेतु पृथक से कोई वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे एवं श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी के अपरिहार्य अनुपस्थिति में श्री डी.पी. डंगवाल, अनुभाग अधिकारी लोक सूचना अधिकारी का कार्य देखेंगे।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव एवं  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।  
Kac

संख्या- 465 / XXV-05 / 2017, तद दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
- 3- स्टाफ आफिसर- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- संबंधित अधिकारीगण।
- 8- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से -  
(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव एवं  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।  
Kac